प्रेस प्रकाशनी PRESS RELEASE

भारतीय रिज़र्व बैंक
RESERVE BANK OF INDIA

वेबसाइट : www.rbi.org.in/hindi
Website : www.rbi.org.in
ई-मेल/email : helpdoc@rbi.org.in

संचार विभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001
Department of Communication, Central Office, Shahid Bhagat Singh Marg, Fort, Mumbai - 400 001 फोन/Phone: 022 - 2266 0502

11 अप्रैल 2023

भारत सरकार की प्रतिभूतियों का रूपांतरण/स्विच

भारत सरकार ने नीलामी के माध्यम से कुल ₹11,000 करोड़ (अंकित मूल्य) की राशि की अपनी प्रतिभूतियों के रूपांतरण/ स्विच की घोषणा की है। रूपांतरण/ स्विच का प्रतिभूति-वार विवरण निम्नानुसार है:

नीलामी की तारीख	मूल प्रतिभूतियां	मूल प्रतिभूतियों की राशि (अंकित मूल्य)	नियत प्रतिभूतियां
17 अप्रैल 2023 (सोमवार)	7.35% जीएस 2024 (22 जून 2024 को परिपक्व होने वाली)	1,000	7.19% जीएस 2060 (15 सितंबर 2060 को परिपक्व होने वाली)
	एफ़आरबी 2024 (7 नवंबर 2024 को परिपक्व होने वाली)	4,000	8.32% जीएस 2032 (2 अगस्त 2032 को परिपक्व होने वाली)
	7.72% जीएस 2025 (25 मई 2025 को परिपक्व होने वाली)	3,000	8.28% जीएस 2032 (15 फरवरी 2032 को परिपक्व होने वाली)
	8.20% जीएस 2025 (24 सितंबर 2025 को परिपक्व होने वाली)	1,500	7.06% जीएस 2046 (10 अक्तूबर 2046 को परिपक्व होने वाली)
	5.74% जीएस 2026 (15 नवंबर 2026 को परिपक्व होने वाली)	1,500	5.85% जीएस 2030 (1 दिसंबर 2030 को परिपक्व होने वाली)
	कुल	**11,000**	

बाजार प्रतिभागियों से अपेक्षित है कि वे दो दशमलव स्थानों तक भारतीय रुपये में मूल प्रतिभूति की राशि और मूल एवं नियत प्रतिभूति का मूल्य देते हुए अपनी बोलियां ई-कुबेर में प्रस्तुत करें।

नीलामी एकाधिक-मूल्य आधारित नीलामी होगी अर्थात् सफल बोलियों को मूल एवं नियत प्रतिभूतियों के लिए उनके संबंधित उद्धृत मूल्य पर स्वीकार किया जाएगा।

नीलामी के लिए बोलियां भारतीय रिज़र्व बैंक कोर बैंकिंग समाधान (ई-कुबेर) प्रणाली पर इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में **17 अप्रैल 2023 (सोमवार)** को **पूर्वाह्न 10.30 बजे से पूर्वाह्न 11.30 बजे के बीच** प्रस्तुत की जानी चाहिए। नीलामियों का परिणाम उसी दिन घोषित किया जाएगा और उनका निपटान **18 अप्रैल 2023 (मंगलवार)** को किया जाएगा।

भारत सरकार के पास निम्न अधिकार सुरक्षित है:

- अधिसूचित राशि से कम राशि के प्रस्तावों को स्वीकार करना।
- पूर्णांकन प्रभाव के कारण अधिसूचित राशि की तुलना में थोड़ी अधिक की खरीद करना।
- बिना कोई कारण दिये पूर्ण या आंशिक रूप से किसी भी या सभी प्रस्तावों का स्वीकार या अस्वीकार करना।

स्विच लेनदेन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देश तथा अन्य विवरण अनुबंध में दिए गए हैं।

अजीत प्रसाद
निदेशक (संचार)

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/50